

408

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय से अब तक चल-अचल सम्पत्ति विवरण वर्ष (31.12.2019).....

1. अधिकारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो अजय लक्ष्मी, उप पुलिस अधीक्षक
2. प्रथम नियुक्ति दिनांक/ वर्तमान धारित पद 19.12.2018 (परि० उप पुलिस अधीक्षक)
3. जन्मतिथि 08/12/1987
4. वर्तमान वेतन 56100 अगली वेतन वृद्धि की तारीख जनवरी 2020
(56100-177500)

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थिति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया..... खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिसमें अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
1. ग्राम ब्लोमई आगेर तहसील जिला बल्लू		भूमि 30 एकड़	40 लाख रुपये लगभग	पिताजी लक्ष्मी साहू बाधुगारे (शासकीय कर्मचारी के पिता हैं)	विरासत से अर्जित	20,000/-	
2. ग्राम दांडीवाड़ा इलासी-तहसील जिला होशंगाबाद		भूमि 5068	5 लाख रुपये लगभग	पिताजी लक्ष्मी साहू बाधुगारे (पिता)	विरासत से अर्जित	8000/- (वृद्धि से)	

1. जहाँ लागू न हो उसे काट दीजिए
2. ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
3. इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण)नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह माह की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके टपने नाम पर या उसके किसी परिवार के सदस्य के नाम पर या किसी व्यक्ति के नाम पर या उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे

हस्ताक्षर Ajeet
नाम अजय लक्ष्मी
पद P.S.P.
विभाग पुलिस विभाग